

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, रायवालय, जयपुर-302005)

E-mail

क्रमांक: 3(53)पंचा/स्टोर/रागिआ/2014/ 4974

जयपुर, दिनांक: 22/10/14

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित

1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत),
(कलैक्टर)
2. समस्त रिटर्निंग अधिकारी (पं.स.सदस्य चुनाव एवं जि.प.सदस्य चुनाव)
मार्फत - जिला निर्वाचन अधिकारी

विषय :- पंचायत आम चुनाव 2015 - जिला परिषद सदस्य चुनाव एवं पंचायत समिति सदस्य
चुनाव के लिये मतपत्रों का मुद्रण।

संदर्भ :- आयोग का पूर्व पत्रांक 2741 दिनांक 02.07.2014 एवं 4409 दिनांक 30.09.2014

आगामी पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में पंचायत समिति सदस्यों के मतपत्र के कामज का रंग
नीला तथा जिला परिषद सदस्यों के मतपत्र का रंग पीला होगा।

उपरोक्त दोनों प्रकार के मतपत्रों के लिये मुक्त चुनाव बिन्ह भी पृथक-पृथक राज्य निर्वाचन
आयोग ने विनिश्चित किये हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के
नियम-58 के उप-नियम (6) के अन्तर्गत जिला परिषद सदस्य चुनाव एवं पंचायत समिति सदस्य चुनाव के
लिये चुनाव प्रतीकों के आवंटन की प्रक्रिया एवं चुनाव प्रतीकों का निर्धारण अधिसूचना संख्या 4725 दिनांक
14.10.2014 से विनिर्दिष्ट किया है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

जहां पंच व सरपंच चुनाव के मतपत्रों व एक्स्ट्रा रिलों में केवल चुनाव प्रतीक ही मुद्रित होते हैं,
अभ्यर्थियों के नाम मुद्रित नहीं होते, वहां पंचायत समिति व जिला परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के
मतपत्रों में चुनाव प्रतीक के साथ ही अभ्यर्थियों के नाम भी मुद्रित होंगे जो बांयी ओर होंगे। पंचायत समिति
सदस्य व जिला परिषद सदस्य के मतपत्र चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार होने पर मुद्रित हो
सकेंगे और इनका मुद्रण कार्य मतदान दलों की स्वानगी से पहले-पहले पूरा होना भी आवश्यक है।

मुद्रण हेतु समय अधिक नहीं होगा, अतः आपको जिला परिषद सदस्यों एवं पंचायत समिति सदस्यों
के निर्वाचन के लिये मतपत्रों के मुद्रण में विशेष ध्यान रखना होगा, ताकि सही समय पर सही मुद्रण हो
सकें और चुनाव कार्य में कोई अवरोध नहीं होवे।

पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्य के मतपत्र का स्वरूप

(1) पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन के लिये मतपत्र ऐसे प्रारूप में होगा जो
आयोग निर्दिष्ट करे और इसकी विशिष्टियां देवनागरी लिपि में हिन्दी में लिखी जायेगी, इसके अलावा
मतपत्र पर अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में आयेंगे जिस क्रम में वे चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची
(प्रारूप-5) में अंकित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त चुनाव लड़ने वाले अन्तिम अभ्यर्थी के बाद नोट
(उपरोक्त में से कोई नहीं) का विकल्प अंकित किया जावेगा।

(2) राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम, 58 के उप-नियम (5) के परन्तुक (घ)
में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची किस प्रकार तैयार होगी यह बताया गया है। उक्त सूची में
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की दो श्रेणियां होगी। अभ्यर्थियों के नामों को सूचीबद्ध करने के प्रयोजन से
अभ्यर्थियों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा। प्रथम श्रेणी में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े
किये गये अभ्यर्थी और दूसरी श्रेणी में निर्दलीय अभ्यर्थी आयेंगे। प्रत्येक श्रेणी में अभ्यर्थियों के नाम हिन्दी
वर्णमाला में क्रमानुसार आयेंगे। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में जो क्रम अभ्यर्थियों का होगा वही
क्रम मतपत्रों में भी रहेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त दोनों श्रेणी का शीर्षक (Heading) निर्वाचन
लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में तो अंकित होगा लेकिन मतपत्रों में अंकित नहीं होगा।

(3) पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन के लिये मतपत्र का प्रारूप आयोग के विधिक
आदेश संख्या - 2/94, दिनांक 19.9.94 के द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, जिसकी प्रति सुलग संदर्भ के लिए
परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। इस विधिक आदेश के अनुसार एकल स्तम्भीय मतपत्र की चौड़ाई 4 इंच होगी

22/10

और लम्बाई निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या पर निर्भर करेगी, परन्तु जहां निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा के विकल्प सहित 9 से अधिक हो जाये, वहां मतपत्रों को स्तम्भों में मुद्रित किया जायेगा और बीच में कम से कम 2.5 एम्स (ems) चौड़ा गहरे रंग का (Shaded) भाग होगा। अभ्यर्थियों के नाम चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में बताये गये क्रम में हिन्दी में एक दूसरे के नीचे, यथा स्थिति, प्रथम स्तम्भ, दूसरे, तीसरे, आदि स्तम्भों में अंकित किये जावेंगे। जहां निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी नोटा के विकल्प सहित विषम संख्या में हो वहां मतपत्र के दाहिने अंतिम स्तम्भ पर अंतिम पैगल पूर्णतया रंगदार (Shaded) होगा, (देखें परिशिष्ट-4 एवं 6) पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में अन्य चुनावों की तरह मतपत्र के सम्बद्ध प्रतिपत्र (Counter foil) नहीं होगा। प्रत्येक मतपत्र के शीर्ष में 6 एम्स (ems) चौड़ाई का स्तम्भ होगा, जिसमें ऊपर किनारे पर एक काली लाईन होगी, बायीं ओर अग्र भाग पर अथवा पृष्ठ भाग पर जैसा सुविधाजनक हो, मतपत्र की क्रम संख्या मुद्रित होगी, दायीं ओर जिला परिषद अथवा पंचायत समिति (जैसी भी स्थिति हो) का नाम और निर्वाचन क्षेत्र संख्यांक एक दूसरे के नीचे मुद्रित होंगे।

(4) मतपत्र के अग्रभाग में प्रथम अभ्यर्थी के नाम के नीचे गहरे रंग वाले भाग (Shaded Portion) में केवल निर्वाचन का सांकेतिक शब्दों में नाम "पं.स.सदस्य चुनाव" या, यथा स्थिति, "जि.प. सदस्य चुनाव" मुद्रित किया जायेगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को आवंटित जगह की चौड़ाई 6 एम्स (ems) होगी और किन्हीं दो अभ्यर्थियों के लिये आवंटित स्थान के बीच में गहरे रंग वाले भाग (Shaded area) की चौड़ाई 3 एम्स (ems) होगी। सबसे नीचे गहरे काले रंग के किनारे की रेखा होगी।

पंचायत समिति सदस्य चुनाव के मतपत्र का नमूना एकल स्तम्भ में परिशिष्ट-3 पर व दो स्तम्भों में परिशिष्ट-4 पर देखें। जिला परिषद सदस्य चुनाव के मतपत्र का एकल स्तम्भ में नमूना परिशिष्ट-5 पर व दो स्तम्भों में नमूना परिशिष्ट-6 पर देखें।

मतपत्रों पर नम्बरिंग :-

जिन मुद्रणालयों में टाईप हाई नम्बरिंग मशीन उपलब्ध है वहां मतपत्र की क्रम संख्या अग्रभाग के शीर्ष स्तम्भ में बायीं ओर मुद्रित होगी। यदि हैण्ड नम्बरिंग मशीन से मतपत्र की क्रम संख्या अंकित की जाये तो मतपत्र के पृष्ठ भाग पर ऊपर बायीं ओर भी की जा सकती है। यह ध्यान रहे कि नम्बरिंग का इम्प्रेशन एक समान रहें। नम्बरिंग 6 या 7 डिजिट में करावें, जैसे 100001 अथवा 1000001 से प्रारम्भ होकर उस निर्वाचन क्षेत्र के लिये मुद्रित होने वाले मतपत्रों की संख्या के अन्त तक की जायेगी। इस स्तम्भ में नीचे किनारे पर एक काली रेखा होगी, जो कि शीर्ष स्तम्भ को मतपत्र से पृथक दर्शायेगी।

चुनाव प्रतीक :-

पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन एवं जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन दलीय आधार पर होंगे। जिसमें मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के द्वारा खड़े किये गये अभ्यर्थियों को संबंधित आरक्षित विन्ह आवंटित किये जावेंगे। आरक्षित विन्हों को आवंटित करने की प्रक्रिया उक्त अधिसूचना दिनांक 14.10.2014 में बतायी गयी है। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की संख्या - 6 है, जैसा कि संलग्न परिशिष्ट-1 में अधिसूचना में वर्णित है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल एवं उनके लिये आरक्षित चुनाव विन्हों के नमूने मय सूची के परिशिष्ट-7 पर संलग्न हैं।

पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन के लिये आयोग की अधिसूचना दिनांक 14.10.2014 की सारणी-2 में मुक्त चुनाव प्रतीकों की सूची दी गई है जिसमें 20 मुक्त चुनाव प्रतीक वर्णित हैं। इसी प्रकार जिला परिषद सदस्य निर्वाचन के लिये भी उक्त अधिसूचना दिनांक 14.10.2014 की सारणी-3 में 20 मुक्त चुनाव प्रतीकों की सूची वर्णित है। जब निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में 20 से अधिक हो जाये तो नाम वापसी के दिन ही संबंधित रिटर्निंग अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को सूचित कर दिया जायेगा ताकि आयोग अतिरिक्त मुक्त चुनाव विन्ह निर्दिष्ट कर सके। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के द्वारा खड़े किये गये अभ्यर्थियों को संबंधित आरक्षित चुनाव विन्ह ही, जो उक्त अधिसूचना दिनांक 14.10.2014 की सारणी 1 में बताये गये हैं, आवंटित होंगे, यह भी आप सुनिश्चित कर लें।

चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची बनाने समय प्रतीकों का उपरोक्तानुसार आवंटन सुनिश्चित कर लें और प्ररूप-5 में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में अभ्यर्थियों के नाम व उन्हें आवंटित चुनाव प्रतीक सही-सही अंकित कर लें क्योंकि प्ररूप-5 में बतायी गयी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार और उसी क्रम में ही मतपत्रों का मुद्रण होगा। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किये गये अभ्यर्थियों के नाम पहले आवेंगे। आरक्षित चुनाव विन्हों और मुक्त चुनाव विन्हों के नमूने परिशिष्ट-7 पर संलग्न हैं।

22/10/14

सिम्बल ब्लॉक्स:-

आयोग द्वारा पूर्व में अपने सन्दर्भित आदेश संख्या 3559 दिनांक 9.10.09 से मत पत्र मुद्रण हेतु सिम्बल ब्लॉक आयोग से उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था। चूंकि आयोग के निर्देशानुसार मतपत्रों का मुद्रण जिला स्तर पर निविदाएं आमंत्रित कर निजी मुद्रणालयों से कराया जाना है और वर्तमान में निजी मुद्रणालयों द्वारा मुद्रण कार्य ऑफसेट मुद्रण पद्धति से किया जाता है, जिसमें चुनाव चिन्ह कम्प्यूटर के माध्यम से **Scan** किये जाने के उपरान्त कार्य में लिये जाते हैं और सिम्बल ब्लॉक की आवश्यकता नहीं रहती। अतः मतपत्र मुद्रण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि चुनाव चिन्ह की **Scanning** के समय चुनाव चिन्हों में कोई भी अन्तर ना हो। चुनाव चिन्हों के नमूनों की Soft Copy (सी.डी) भी आपके विशेष वाहक आयोग कार्यालय से अन्य सामग्री संग्रहण के समय प्राप्त कर लें।

मुद्रण के लिए कागज :-

मतपत्रों के मुद्रण के लिये कागज की व्यवस्था निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग द्वारा ही की जायेगी। यह ध्यान रखें कि पंचायत समिति सदस्य चुनाव के मतपत्र और जिला परिषद सदस्य चुनाव के मतपत्र क्रमशः नीले एवं पीले रंग के कागज पर मुद्रित होंगे। कागज 60 GSM का होगा। कागज की आपूर्ति निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग द्वारा की जायेगी जिसके लिए आयोग द्वारा पूर्व में निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग को पत्र लिखा जा चुका है। कागज की आवश्यकता का पूर्व ऑकलन मतपत्रों की अनुमानित संख्या के आधार पर निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग द्वारा किया जायेगा। यह कागज दिनांक 25.11.2014 तक ही आपूर्ति किये जाने के निर्देश है। अतः जिला निर्वाचन अधिकारी निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग से सम्पर्क कर उनके द्वारा आवंटित राजकीय मुद्रणालयों से तुरन्त कागज प्राप्त कर लें। कागज का हिसाब भी रखा जायेगा।

स्टिचिंग मशीन :-

पंचायत समिति सदस्य मतपत्र और जिला परिषद सदस्य मतपत्र के लिये प्रतिपत्र रखने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः मतपत्र बिना प्रतिपत्र के ही मुद्रित होंगे। निर्वाचन क्षेत्रवार मुद्रित समस्त मतपत्रों को 50-50 मतपत्रों के बण्डल के हिसाब से स्टिच किया जाना आवश्यक है। स्टिचिंग इस प्रकार से किया जायेगा, ताकि मतपत्र मतदाता को जारी करते समय आसानी रहे। स्टिचिंग मशीन से बण्डल एक स्थान पर ही स्टिच किया जावे, दो स्थानों पर नहीं ताकि 50 के बण्डल को जब तोड़ा जाये तो आसानी रहे।

कटिंग मशीन :-

मतपत्रों के मुद्रण के पश्चात् उनकी साईज के अनुरूप काटने के लिये कटिंग मशीनें मुद्रणालयों में सही स्थिति में होनी चाहिये। यह ध्यान रखा जायेगा कि कटिंग के समय एक मतपत्र पर काली लाईन (ऊपर और नीचे) सही रूप से विद्यमान है अथवा नहीं। कटिंग से पहले लाईन कहीं कट नहीं जाये।

पैकिंग :-

मतपत्रों की शीट्स की कटिंग एवं 50-50 मतपत्रों के बण्डल स्टिच करने के बाद पैकिंग की जायेगी, जिसकी स्ट्रिप पर पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन के मतपत्रों में निम्नांकित अंकित किया जायेगा :-

- (1) जिले का नाम
- (2) पंचायत समिति का नाम
- (3) पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्यांक,
- (4) मतपत्र की क्रम संख्या से तक

इसी प्रकार जिला परिषद सदस्य चुनाव के मतपत्रों के बण्डल के ऊपर स्ट्रिप में निम्नांकित अंकित किया जायेगा :-

- (1) जिले का नाम
- (2) जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र का क्रम संख्यांक
- (3) मतपत्र की क्रम संख्यांक से तक

मतपत्रों की मुद्रित होने वाली संख्या :-

मतपत्रों की प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिये वह संख्या मुद्रित होगी जो कि उस मतदान केन्द्र के वास्तविक मतदाताओं की कुल संख्या में अगले दशांक में राउण्ड करने और उसमें 10 जोड़ने से होती है।


32/10/14

उदाहरण स्वरूप यदि किसी मतदान केन्द्र में संबंधित पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र के 973 मतदाता हैं तो वहाँ पर 990 मतपत्र दलों को दिये जायेंगे। ध्यान रखे गणना में यदि कोई त्रुटि होने से मतपत्र कम मुद्रित हो जायेंगे तो भारी कठिनाई हो सकती है।

मतपत्र मुद्रण के लिये पूर्व प्रशासनिक व्यवस्था :-

(1) आपको लिखित आदेश से किसी वरिष्ठ और उत्तरदायी अधिकारी को मतपत्र के मुद्रण के लिये अधिकृत करना है। आदेश में स्पष्ट होना चाहिये कि जिला परिषद के किस निर्वाचन क्षेत्र के कितने मतपत्र मुद्रित होंगे और कौन-सी पंचायत समिति के किन निर्वाचन क्षेत्रों के कितने मतपत्र मुद्रित होंगे तथा दिशानिर्देश भी स्पष्ट होने चाहिये।

(2) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची सही रूप से चैक कर ली जाये और इस बात से आश्वस्त कर लिया जाये कि सूची में कहीं कोई त्रुटि नहीं है। आप द्वारा अधिकृत किये गये प्रतिनिधि इस सूची को अपने साथ रखेंगे। सूची हस्तलिखित और टाईप की हुई होनी चाहिये। सूची सुस्पष्ट और सुपठनीय होनी चाहिये। जिला परिषद का नाम और उसके निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्यांक और इसी प्रकार से पंचायत समिति का नाम व उसके निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्यांक भी स्पष्टतया सही अंकित होनी चाहिये।

मतपत्रों के मुद्रण का कार्य पूरा करना :-

(i) चूंकि पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्य निर्वाचन में मतदान दलों की खानगी मतदान से एक दिन या दो दिन पहले होगी और मतदान दलों की खानगी पर ही उन्हें संबंधित मतदान केन्द्रों के लिये समस्त मतपत्र उपलब्ध करवाने हैं। ऐसी स्थिति में आपके पास मतपत्र मतदान दलों की खानगी से कम से कम एक दिन पहले हर हालत में उपलब्ध हो जाने चाहिये, ताकि आप मुद्रित मतपत्रों को आगे चैक और करवा सकें और उन्हें मतदान दलों को वितरण के लिये व्यवस्थित कर सकें। आप सुनिश्चित कर ले कि मुद्रित मतपत्र सही और वांछित मात्रा में आपके पास मतदान दलों की खानगी से कम से कम एक दिन पहले तक पहुंच जाये।

(ii) इस प्रकार मुद्रण हेतु सीमित समय ही मिलेगा इसलिए आपको मतपत्रों के मुद्रण हेतु समस्त प्रकार की व्यवस्था अग्रिम तैयार रखनी है। आपके प्रतिनिधि संबंधित मुद्रणालय के लिये चुनाव विन्ध आवंटन के दिन ही निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के साथ पहुंच जाने चाहिए, ताकि निर्धारित समय में मतपत्रों का मुद्रण कार्य सम्पन्न हो सके। यह ध्यान रखें और चैक करा ले कि मतपत्र सही रूप से मुद्रित हो गये हैं, उन पर मतपत्र के क्रम-संख्यांक, तथा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्यांक और संबंधित पंचायत समिति/जिला परिषद का नाम भी सही मुद्रित हो गया है तथा बिना क्रम संख्यांक का मतपत्र तो नहीं है, आदि।

(iii) मतपत्रों के मुद्रण के पश्चात् आप द्वारा अधिकृत किया गया प्रतिनिधि सही मतपत्रों के बण्डल को जांचकर अपनी अभिरक्षा में ले लेगा। खराब हुये मतपत्र और कागज के टुकड़े, मतपत्र मुद्रण के तुरन्त बाद जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नागित अधिकारी के समक्ष मुद्रणालय द्वारा जला दिये जायेंगे। जलाये जाने संबंधी कार्यवाही का एक प्रमाण पत्र निजी मुद्रणालय द्वारा एवं उक्त नागित अधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को भेजा जायेगा।

(iv) यह ध्यान रखें कि पंचायत समिति/जिला परिषद का स्टाफ मतपत्रों के मुद्रण के कार्य में नहीं लगाया जावे। यह भी ध्यान रखें कि यदि किसी मतपत्र में अंतिम काली लाईन काट दी गई है या नम्बरिंग में गलत मुद्रण हुआ है, या अन्य किसी प्रकार की त्रुटि पायी गई है तो त्रुटिपूर्ण मतपत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा रद्द मान लिया जायेगा और उसे हटा दिया जावेगा।

(v) मतपत्र के मुद्रण में कहीं त्रुटि नहीं रहे इसके लिये आपको निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची को भी सही रूप से तैयार करना है और मतपत्रों के मुद्रण को प्रारम्भ करने से पूर्व उनके प्रूफ को अच्छी तरह चैक करना है, जिसके लिये आपको अधिकृत प्रतिनिधि के साथ पर्याप्त मात्रा में जानकारी स्टाफ लगाना है। चूंकि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के आधार पर ही उसी क्रम में मतपत्र में अभ्यर्थियों का नाम मुद्रित होगा और उसी अनुरूप होगा, अतः आप यह भी ध्यान रखें कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम की सूची में पहले मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खड़े किये अभ्यर्थियों के नाम आयेंगे और उसके बाद निर्दलीय अभ्यर्थियों के। उक्त दोनों प्रकार की श्रेणियों में भी नाम हिन्दी वर्णमाला के क्रमानुसार आयेंगे। सम्मान सूचक शब्द यथा श्री, श्रीमती आदि अंकित नहीं होंगे। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के लिये मुद्रित होने वाले मतपत्रों में निर्वाचन क्षेत्र का वर्ग यथा अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. या महिला, आदि कहीं पर भी अंकित नहीं होगा किन्तु चुनाव लड़ने वाले अन्तिम अभ्यर्थी के बाद नोट के विकल्प के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं शब्दावली एवं इसके लिए निर्धारित प्रतीक अंकित किया जायेगा।

22/10/14

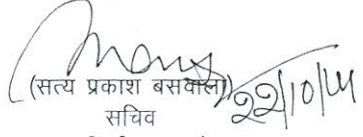
(vi) मतपत्रों का मुद्रण का कार्य जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा निविदाये आमंत्रित कर निजी मुद्रणालयों के द्वारा सम्पन्न होगा। मुद्रणालयों को पर्याप्त मात्रा में कागज, रिट्विंग मशीन, वैकर, पेकर, नम्बरिंग मशीनें, र्लग्स् आदि समस्त प्रकार का सामान चुनाव प्रतीक की सी.डी. व स्टाफ पर्याप्त समय पूर्व व पर्याप्त मात्रा में तैयार रखना होगा। इस संबंध में आप भी ध्यान रखें।

(vii) सुरक्षा व्यवस्था :- निजी मुद्रणालयों पर जब मतपत्रों का मुद्रण हो रहा हो उस दौरान निजी मुद्रणालय अन्य कोई मुद्रण कार्य नहीं करे तथा उस दौरान कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति मुद्रणालय में प्रवेश ना करें। गार्ड/पुलिस की माकूल व्यवस्था हो ताकि मतपत्र सुरक्षित रहे और कोई भी मतपत्र किसी अनाधिकृत व्यक्ति की पहुँच में ना आ सके।

(viii) राज्य निर्वाचन आयोग ने संलग्न स्टेटमेंट जो परिशिष्ट-9 पर संलग्न है, उसमें मोटे रूप में बताया है कि कौन-से जिले में जिला परिषद सदस्य के मतपत्र तथा पंचायत समिति सदस्य के मतपत्र कितने निर्वाचन क्षेत्रों में कितनी मात्रा में छपेंगे। यह मात्रा केवल अनुमानित है, वास्तविक मात्रा जिला निर्वाचन अधिकारी निश्चित करेंगे तथा तदनुसार निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग को भी तुरन्त अवगत करा कर तदनुरूप कागज की आपूर्ति लेंगे।

मुद्रित होने वाले मतपत्रों की संख्या अनुमानित ही दी गई है, क्योंकि वास्तविक संख्या आपके द्वारा ही संबंधित मुद्रणालयों को बतायी जायेगी। (मुद्रित होने वाली मतपत्रों की वास्तविक संख्या आयोग को भी जिला परिषद के सदस्य चुनाव के लिये पृथक और पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिये पृथक भेजें)।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


(सत्य प्रकाश बसवला)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

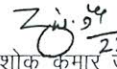
क्रमांक: 3(53)पंचा/स्टोर/रागिआ/2014/ 4975-77

जयपुर, दिनांक: 22.10.14

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग को भेजकर लेख है कि जिला परिषद सदस्य चुनावों के मतपत्रों के लिये पीले रंग का कागज एवं पंचायत समिति सदस्य चुनावों के मतपत्रों के मुद्रण के लिये नीले रंग का कागज संबंधित जिलों को दिनांक 25.11.2014 से पूर्व आपूर्ति करने की व्यवस्था करें।
3. पंचायत/लेखा शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


(अशोक कुमार जैन)
उपसचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

संख्या 7(1)(7)पंचा/रानिआ/09/वा.IV/ 4725

जयपुर, दिनांक: 14.10.2014

अधिसूचना

राजस्थान राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के लिए सभी निर्वाचनों में अधीक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ट द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है,

और पंचायत समिति सदस्यों तथा जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचनों के शुद्ध एवं सुचारु संचालन के लिए निर्वाचन प्रतीकों को और उनके आरक्षण, चयन, आवंटन एवं तत्संबंधी विषयों के लिए निर्बन्धन विनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता है,

अतः राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 58 के उपनियम (6) के खण्ड (क) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ट द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर यथा संशोधित अपनी पूर्व अधिसूचना क्रमांक संख्या 7(1)(7)पंचा/रानिआ/04/वा.IV/2490 दिनांक 29.07.2009 (राजस्थान राजपत्र विशेषांक के भाग 6(ग) में दिनांक 3.08.2009 को प्रकाशन) एवं अधिसूचना क्रमांक संख्या 7(1)(7)पंचा/रानिआ/04/वा.IV/5473 दिनांक 20.11.2009 (राजस्थान राजपत्र विशेषांक के भाग 6(ग) में दिनांक 20.11.2009 को प्रकाशन), के अतिक्रमण में निम्न प्रकार विनिर्देश जारी करता है:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारम्भ:- (1) इस आदेश का नाम राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्य निर्वाचन प्रतीक (सूची और आवंटन) आदेश, 2014 है,
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पर है तथा यह पंचायत समिति एवं जिला परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में लागू होगा, और
 - (3) यह आदेश इसके जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा।
2. परिभाषा :- इस आदेश में जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
 - (i) "सविरोध निर्वाचन" से पंचायत समिति अथवा जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र के लिए ऐसा निर्वाचन अभिप्रेत है जिसमें मतदान होता है;
 - (ii) "निर्वाचन" से पंचायत समिति अथवा जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र के लिए "साधारण निर्वाचन" और "उप निर्वाचन" अभिप्रेत है;
 - (iii) "प्ररूप क" से इस आदेश के संलग्न प्ररूप "क" अभिप्रेत है;
 - (iv) "प्ररूप ख" से इस आदेश के संलग्न प्ररूप "ख" अभिप्रेत है;
 - (v) "खण्ड" से इस आदेश का खण्ड अभिप्रेत है;
 - (vi) "दल" से मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल अभिप्रेत है;

- (क) उस अभ्यर्थी ने अपने नाम निर्देशन पत्र में उस आशय की घोषणा की हो,
- (ख) संबंधित राजनैतिक दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामित प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा प्ररूप 'ख' में इस आशय की लिखित सूचना नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के अन्तिम दिनांक को 3 बजे अपराह्न तक रिटर्निंग अधिकारी को प्रदत्त कर दी गई हो,
- (ग) यदि राजनैतिक दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष द्वारा नियम 58 के उपनियम (5) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत किया है और इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को पत्र प्रेषित किया हो तो प्राधिकृत व्यक्ति के नमूने के हस्ताक्षर प्ररूप 'क' में रिटर्निंग अधिकारी को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख के अपराह्न 3.00 बजे तक उपलब्ध करा दिये गये हों, और
- (घ) प्ररूप 'क' और प्ररूप 'ख' पूर्वोक्त पदाधिकारी अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा केवल स्याही से हस्ताक्षरित किये गये हों।

स्पष्टीकरण-1 उपरोक्त खण्ड (6) के उप खण्ड (ख) एवं (ग) में किसी राजनैतिक दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष से अभिप्रेत दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष और जहाँ दल की राज्य इकाई का अध्यक्ष पद नहीं है, वहाँ सचिव से है।

स्पष्टीकरण-2 जहाँ किसी राजनैतिक दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष द्वारा ही उपरोक्त खण्ड (6) के उप खण्ड (ख) के अन्तर्गत प्ररूप 'ख' में लिखित सूचना रिटर्निंग अधिकारी को निर्धारित समय तक प्रदत्त कर दी गई हो तो उपरोक्त खण्ड (6) के उप खण्ड (ग) के अन्तर्गत प्ररूप 'क' में राजनैतिक दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष के नमूने के हस्ताक्षर रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण-3 प्ररूप 'क' और, यथास्थिति, प्ररूप 'ख' पर यदि दल के किसी पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के अनुकृति हस्ताक्षर या रबड़ स्टाम्पों के हस्ताक्षर हैं तो उन्हें नहीं माना जायेगा तथा फ़ैक्स द्वारा प्रेषित कोई प्ररूप भी स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7. दल द्वारा खड़ा किया गया प्रतिस्थानी अभ्यर्थी :- (क) प्ररूप 'ख' के स्तम्भ 6 में वर्णित प्रतिस्थानी उम्मीदवार को उस दल द्वारा खड़ा किया गया तभी माना जायेगा जबकि उस दल के मुख्य अनुमोदित उम्मीदवार के नामनिर्देशन-पत्र को नियम-27 के अन्तर्गत संवीक्षा में रद्द कर दिया गया हो या जिसने अपनी अभ्यर्थिता नियम-28 के अन्तर्गत वापस ले ली हो।

(ख) ऐसी स्थिति में जहाँ दल के मुख्य अनुमोदित अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र स्वीकार कर लिया जाता है और वह अपनी अभ्यर्थिता वापिस नहीं लेता है, यदि प्ररूप 'ख' के स्तम्भ 6 में वर्णित प्रतिस्थानी उम्मीदवार का कोई नामनिर्देशन-पत्र स्वीकार कर लिया जाता है तथा ऐसा प्रतिस्थानी उम्मीदवार भी अपनी अभ्यर्थिता वापिस नहीं लेता है तो ऐसे प्रतिस्थानी उम्मीदवार को दल द्वारा खड़ा किया गया नहीं माना जायेगा और उसे मुक्त प्रतीक अधोलिखित खण्ड 12 के अनुसार आवंटित किया जावेगा।

8. दल द्वारा अनुमोदित अभ्यर्थी को प्रतिस्थापित किया जाना :- यदि किसी दल द्वारा पूर्व में अनुमोदित अभ्यर्थी का मनोनयन निरस्त करते हुये अन्य अभ्यर्थी को अनुमोदित किया गया है तो अन्य अभ्यर्थी को ही दल का अनुमोदित अभ्यर्थी माना जायेगा।

परन्तु दल द्वारा पूर्व में अनुमोदित अभ्यर्थी का मनोनयन निरस्त करते हुये अन्य अभ्यर्थी का मनोनयन तभी माना जायेगा जबकि प्ररूप 'ख' में यह स्पष्ट उल्लेख हो कि पूर्व में अनुमोदित अभ्यर्थी का


14/10

प्रतीकों का चयन नहीं किया है और दल ने उसे अनुमोदित नहीं किया है तो द्वितीय नाम निर्देशन पत्र निर्वाचन प्रतीक के आवंटन के प्रयोजनार्थ प्रथम माना जायेगा। यदि द्वितीय और तृतीय नाम निर्देशन पत्र भी इसी प्रकार दल द्वारा खड़े किये जाने की घोषणा करते हुए प्रस्तुत किये गये हैं और प्रतीकों का चयन नहीं किया गया है तो चतुर्थ नाम निर्देशन पत्र में दर्शाये गये प्रतीकों पर विचार किया जायेगा। यदि किसी भी नाम निर्देशन पत्र में प्रतीकों का चयन नहीं किया गया है तो खण्ड 12 के अन्तर्गत मुक्त प्रतीक आवंटित किये जायेगे।

12. अन्य अभ्यर्थियों (निर्दलीय अभ्यर्थियों) को प्रतीकों का आवंटन :- अभ्यर्थी को (जिसे किसी दल ने खड़ा नहीं किया है), प्रथम नामनिर्देशन पत्र में उसके अंकित प्राथमिकता क्रम के आधार पर सारणी-2 (पंचायत समिति सदस्य के लिए) सारणी-3 (जिला परिषद सदस्य के लिए) में से निम्नानुसार निर्वाचन प्रतीक आवंटित किया जायेगा :-

- (क) यदि प्रथम रुचि में प्रतीक को एक ही अभ्यर्थी द्वारा चाहा गया है तो वह उसी उम्मीदवार को आवंटित कर दिया जायेगा,
- (ख) यदि एक ही प्रतीक को एक से अधिक अभ्यर्थियों ने अपनी रुचि में प्रथम क्रम पर रखा हो तो मुक्त प्रतीक के आवंटन का निर्णय 'लॉट' द्वारा किया जायेगा। जिस अभ्यर्थी के पक्ष में लॉट निकले उसे ही वह प्रतीक आवंटित किया जायेगा। लॉट निकालने की कार्यवाही उपस्थित अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के समक्ष की जाएगी,
- (ग) प्रथम रुचि पर अंकित प्रतीकों का आवंटन हो जाने पर, शेष बचे अभ्यर्थियों को उनकी पसन्द के 'दूसरी' रुचि के प्रतीकों का आवंटन उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।
- (घ) तत्पश्चात् शेष रहे अभ्यर्थियों को उनकी पसन्द के तीसरे क्रम के निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन उपरोक्तानुसार ही किया जायेगा, और
- (ङ) पहले, दूसरे और तीसरे क्रम के सभी निर्वाचन प्रतीक आवंटित हो जाने के पश्चात् यदि कोई अभ्यर्थी ऐसा रह जाता है, जिसे अपनी रुचि का (तीन में से) कोई प्रतीक आवंटित न हुआ हो या जिसने कोई रुचि ही न दी हो तो उसे पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन में सारणी-2 के स्तम्भ 2 तथा जिला परिषद सदस्य निर्वाचन में सारणी-3 के स्तम्भ-2 में विनिर्दिष्ट मुक्त निर्वाचन प्रतीकों में से कम में सबसे ऊपर वाला वह प्रतीक आवंटित किया जायेगा जो किसी को आवंटित न किया गया हो। प्रतीकों का क्रमवार इस प्रकार का आवंटन, अभ्यर्थियों को हिन्दी वर्णक्रमानुसार चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में, उनके नामों के अनुसार (एक के बाद एक) किया जायेगा।

13. अनुदेश तथा निदेश निकालने की आयोग की शक्ति :- राज्य निर्वाचन आयोग,-

- (क) इस आदेश के उपबन्धों में से किसी का स्पष्टीकरण करने के लिए;
- (ख) किसी ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए, जो किन्हीं ऐसे उपबन्धों के कार्यान्वयन के संबंध में उत्पन्न हो; तथा
- (ग) प्रतीकों के आरक्षण तथा आवंटन के किसी मामले के संबंध में जिसके लिए इस आदेश में कोई उपबन्ध नहीं है या उपबन्ध अपर्याप्त है, तथा जिसके लिए निर्वाचनों के निर्विघ्न तथा व्यवस्थित संचालन के लिए आयोग की राय में उपबन्ध करना आवश्यक है, अनुदेश तथा निदेश निकाल सकेगा।

3
14/10

प्ररूप - 'क'
राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किये गये उम्मीदवारों के नामों
की सूचना के लिये प्राधिकृत व्यक्तियों के संबंध में सूचना

(देखिए अधिसूचना संख्या एफ7(1)(7)पंचा/रानिआ/2009/बो.IV/4725 दिनांक 14.10.2014 का खण्ड 6)

प्रेषिति-

रिटर्निंग अधिकारी,

*पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्य चुनाव

विषय:- *पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन-उम्मीदवारों के नामों की सूचना देने के लिये व्यक्तियों का प्राधिकृत किया जाना।

महोदय,

अधिसूचना संख्या एफ 7(1)(7)/पंचा/रानिआ/2009/बो.IV/4725 दिनांक 14.10.14 के खण्ड (6) के अनुसरण में, मैं, इसके द्वारा संसूचित करता हूँ कि ऊपर उद्धृत निर्वाचन में दल द्वारा खड़े किये जाने के लिये प्रस्तावित उम्मीदवारों के नामों की सूचना देने के लिये दल, जो निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश 1968 के अंतर्गत राजस्थान में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल है, द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को प्राधिकृत किया गया है :-

सूचना भेजने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति का नाम	दल में धारित पद का नाम	*पंचायत समिति/जिला परिषद का नाम और निर्वाचन *क्षेत्र/क्षेत्रों का क्रम संख्याक *जिसके/जिनके संबंध में उसे प्राधिकृत किया गया है
1.	2.	3.
1.		
2.		

2. इस प्रकार प्राधिकृत ऊपर उल्लिखित *व्यक्ति/व्यक्तियों के हस्ताक्षरों के नमूने नीचे दिये गये हैं :-

1. श्री के हस्ताक्षरों के नमूने
(1) (2) (3)
2. श्री के हस्ताक्षरों के नमूने
(1) (2) (3)

भवदीय,

अध्यक्ष,
दल का नाम (दल की मोहर)

स्थान:
दिनांक

नोट:- 1. यह प्ररूप नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को 3.00 बजे अपरान्ह से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत हो जाना चाहिये।

2. प्ररूप उपर्युक्त पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्याही से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिये। किसी पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के अनुकृति हस्ताक्षर या खड़ स्टाम्प के हस्ताक्षरों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3. फैंक्स से भेजा गया प्ररूप नहीं माना जायेगा।

* जो लागू नहीं हो उसे काट दीजिये


14/10

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है:-

1. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ भेजकर निवेदन है कि इस अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र विशेषांक के भाग 6(ग) में तत्काल प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें और अधिसूचना की 50 प्रतियां आयोग को उपलब्ध करावें।
2. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ राजस्थान राजपत्र विशेषांक में तत्काल प्रकाशनार्थ।
3. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग, राजस्थान जयपुर को भेजकर निवेदन है कि भारत निर्वाचन आयोग से राजनैतिक दलों के पंजीयन, मान्यता देने, प्रतीक आरक्षण आदि बाबत जो भी निर्देश प्राप्त हो उनकी प्रतियां इस आयोग को भिजवाने की व्यवस्था करने की कृपा करें।
5. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलेक्टर), राजस्थान।
7. अध्यक्ष/सचिव समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रभारी अधिकारी (भण्डार शाखा) को प्रतीकों चिन्ह की व्यवस्था कर, उन्हें संबंधित मुद्रणालयों को आपूर्ति करने हेतु।
9. लेखा शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।


(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

STATE ELECTION COMMISSION

Jaipur, Dated

ORDER

S.O. No.2/94 - In pursuance of sub-rule (4) of rule 29 of the Rajasthan panchayati Raj (Election) Rules, 1994 the State Election Commission, hereby directs that the form of Ballot Paper for election of Member of Panchayat Samiti and Member of Zila Parishad shall be as indicated below:-

- (1) Every Ballot Paper for Member of Panchayat Samiti and Member of Zila Parishad election shall have a top column which shall ordinarily be of the depth of 6 cms. The top column shall contain the following:-
 - a) Black border line at the top.
 - b) Serial Number of Ballot Paper on left hand side either on the front or back as may be convenient.
 - c) "Name of Panchayat Samiti" and "Constituency No." on right hand side on the Ballot Paper of Member of Panchayat Samiti one below the other.
 - d) "Name of Zila Parishad" and "Constituency" No. on right hand side on the Ballot Paper of member of Zila Parishad one below the other.
 - e) Black border line below, separating Ballot Paper from the top column.
- (2) The front face of the Ballot Paper will contain only the particular of election viz. "Panchayat Samiti Sadasya Chunav" or "Zila Parishad Sadasya Chunav", as the case may be in the first shaded area, the space for name of contesting candidates on left hand side and the symbols of the candidates on the right hand side in a panel.
- (3) The width of the Ballot Paper will be 4"
- (4) The width of the space allotted the each candidate will be 6 cms. and the width of the shaded area between the space allotted to any two candidates will be 3 cms. There will be a black border line at the bottom of Ballot Paper.
- (5) The length of the Ballot Paper will be according to the contesting candidates.

By Order
(B.B. Mehantry)
Secretary
State Election Commission

No.F.(2) (1) SEC/94/155

Jaipur, Dated: 13.9.94

Copy to:-

1. All District Election Officers (Panchayat)
2. All sections of the State Election Commission.
3. All Sub Divisional Officers, Rajasthan

Deputy Secretary,
State Election Commission

परिशिष्ट-3

पंचायत समिति
का नाम

No...

निर्वाचन क्षेत्र
की कुल संख्या.....

आनन्द कुमार



पं. ल. सदस्य पुनावा

देशवर्ष कुमारी



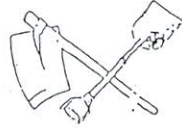
ओमिन्द्र



मृणा देवी



केलादेवी



हिम्मत सिंह



उपरोक्त में से कोई नहीं

NOTA

पंचायत तहसिल का नाम

No.....

निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या.....

अमरीश



धैरव चन्द



पं. स. रादरूप 'उनाव'

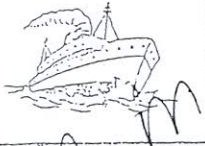
आनन्द मोहन



चन्दर सिंह



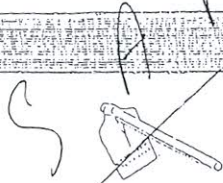
इन्द्र देव



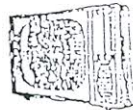
जगदेव



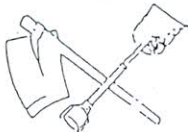
उमेश



लोटाराम



रामल केशोर



धर्मेन्द्र



योग चन्द



उपरोक्त में से कोई नहीं

NOTA

गंगाराम



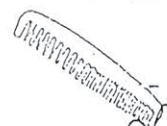
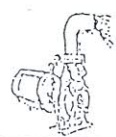
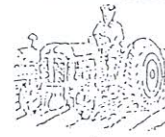
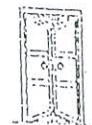
की क्रम संख्या

NOTA

जिला परिषद का नाम.....

No.....

निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या.....

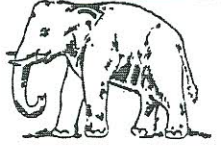
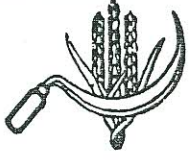
अमरीश		धेवर चन्द	
डि. ज. खन्ना			
आनन्द मोहन		चन्दर सिंह	
इन्द्र देव		जगदेव	
उमेश		तोताराम	
बामल किशोर		धर्मेन्द्र	
खेम चन्द		उपरोक्त में से कोई नहीं NOTA	
भगाराम			

Specimen of Symbols

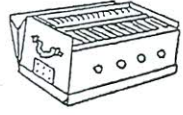
Symbol reserved for recognised national political parties

(A) Reserved Symbols

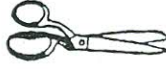
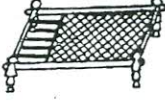
Panchayat Samiti and Zila Parishad member election, 2015

Sr. No.	Name of National Party	Name of Reserved Symbol in Hindi and English	Facsimile of symbol
1.	बहुजन समाज पार्टी Bahujan Samaj Party	हाथी Elephant	
2.	भारतीय जनता पार्टी Bharatiya Janata Party	कमल Lotus	
3.	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया Communist Party of India	बाल और हाँसिया Ears of Corn and Sickle	
4.	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (माक्सिसिस्ट) Communist Party of India (Marxist)	हथौड़ा, हाँसिया और सितारा Hammer, Sickle and Star	
5.	इंडियन नेशनल काँग्रेस Indian National Congress	हाथ Hand	
6.	नेशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी Nationalist Congress Party	घड़ी Clock	

पंचायत समिति सदस्य चुनाव के मुक्त प्रतीक

क्र. सं.	मुक्त प्रतीक का नाम	प्रतीक का नमूना	क्र. सं.	मुक्त प्रतीक का नाम	प्रतीक का नमूना
1.	बल्ला		11.	डीजल पम्प	
2.	अलमारी		12.	केतली	
3.	गुब्बारा		13.	हारमोनियम	
4.	ब्रुश		14.	स्टूल	
5.	मोमबत्तियां		15.	मेज	
6.	कैमरा		16.	टेबिल लेम्प	
7.	कोट		17.	टेलिविजन	
8.	गैस का चूल्हा		18.	सीटी	
9.	बल्लेबाज		19.	पतंग	
10.	कांच का गिलास		20.	प्रेसर कूकर	

जिला परिषद सदस्य चुनाव के मुक्त प्रतीक

क्र. सं.	मुक्त प्रतीक का नाम	प्रतीक का नमूना	क्र. सं.	मुक्त प्रतीक का नाम	प्रतीक का नमूना
1.	कप और प्लेट		11.	कैंची	
2.	चारपाई		12.	गैस सिलेण्डर	
3.	छत का पंखा		13.	नारियल	
4.	लेटर बाक्स		14.	सिलाई की मशीन	
5.	अंगूठी		15.	डोली	
6.	शटल		16.	ब्रीफकेस	
7.	वायलिन		17.	प्रेस	
8.	छड़ी		18.	टेलिफोन	
9.	बाल्टी		19.	ऑटोरिक्षा	
10.	बैटरी टॉर्च		20.	बोतल	

NOTA

SYMBOL

NONE OF THE ABOVE (NOTA)

उपरोक्त में से कोई नहीं

STATEMENT SHOWING THE ESTIMATED NUMBER OF BALLOT PAPERS TO BE PRINTED FOR GENERAL ELECTION OF PANCHAYT (ZP/PS Members) IN YEAR 2015			
S.No.	Name of District	Zila Parishad Members Ballot	Panchayt Samiti Members Ballot
1	2	3	4
1	Ajmer	1112000	1112000
2	Alwar	2137000	2137000
3	Banswara	834000	834000
4	Baran	697000	697000
5	Barmer	1428000	1428000
6	Bharatpur	1270000	1270000
7	Bikaner	914000	914000
8	Bhilwara	1376000	1376000
9	Bundi	622000	622000
10	Chhitorgarh	965000	965000
11	Churu	1143000	1143000
12	Dausa	919000	919000
13	Dholpur	563000	563000
14	Dungarpur	797000	797000
15	Ganganagar	1106000	1106000
16	Hanumangarh	1055000	1055000
17	Jaipur	2245000	2245000
18	Jaisalmer	261000	261000
19	Jalore	1155000	1155000
20	Jhunjhunu	1293000	1293000
21	Jhalawar	848000	848000
22	Jodhpur	1541000	1541000
23	Karauli	781000	781000
24	Kota	834000	834000
25	Nagaur	2076000	2076000
26	Pali	1323000	1323000
27	Rajsamand	767000	767000
28	Sawaimadhopur	715000	715000
29	Sikar	1588000	1588000
30	Sirohi	529000	529000
31	Tonk	808000	808000
32	Udaipur	1513000	1513000
33	Pratapgarh	785000	785000
Total		36000000	36000000